तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में वादित भूमि बेडा-II के खसरा नंबर 3863, 3864, 3865 कुल खसरा 03, कुल रकबा 1.67 हैक्टर के सहखातेदार भवरसिंह, रणजीतसिंह पिसरान भवरसिंह ने अपने अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान के माध्यम से कालक्रमण मय अपील पत्र जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दुरस्ती के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। एवं रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदार दर्ज हिस्सेदारों को दुरस्त किये जाने हेतु सक्षम है तथा अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है अतः बाद अवलोकन पत्रावली सेग्रीगेशन के दौरान की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुरस्त कर वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा-II के खसरा नंबर 3863, 3864, 3865 कुल खसरा 03, कुल रकबा 1.67 हैक्टर के रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम निम्नानुसार हिस्सेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :- 1. नारायणसिंह पुत्र जयसिंह हि० 1/2 2. भगतसिंह पुत्र भवरसिंह हि० 1/4 3. रणजीतसिंह पुत्र भवरसिंह हि० 1/4 रिकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तूर कायम रखे जावें। आदेश की पालना तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेडा-II सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी बाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली